(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी-3811/2018/अशोकनगर/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक–....................../2018 निगरानी

निगरानीकर्ता– 1.असलम खां पुत्र मुन्ना खं आयु 35 वर्ष निवासी किस्मानी मोहल्ला, इमाम चौक मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर, म0 प्र0

विरूद्व

प्रतिनिगरानीकर्ता– 1 जफर खां पुत्र हसन खां आयु 35 वर्ष

2 इरफान खां पुत्र हसन खां आयु 32 वर्ष, सपस्त निवासी किस्मानी मोहल्ला, इमाम चौक मुंगावली तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर म0 प्र0

श्री अजय सिंह रघुवंशी द्वारा आज दि. 23-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक–20 अपीज/2016–2017 में पारित आदेश दिनांक 06/06.2018 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी परगना मुंगावली जिला अशोकनगर (म0प्र0)

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा तहसीलदार परगना मुंगावली, जिला अशोकनगर के समक्ष इस आशय से कि वसीयतनामा एवं कब्जे के आधार पर निगरानीकर्ता का नामांतरण करने वावत एक आवेदन दिनांक 28/10/2013 को अन्तर्गत धारा 109 एवं 110 म0प्र0भू0रा0स0 पेश किया गया जिस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 36अ–6/2012–13 दर्ज किया गया था! एवं उभयपक्षों को सुनने और साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात आदेश दिनांक 23/02/2016 के द्वारा निगरानीकर्ता का आवेदन स्वीकार किया गया है,

2– यह कि, अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 36अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 23/02/2016 से व्यथित होकर प्रतिनिगरानीकर्ताओं द्वारा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3811 / 2018 / अशोकनगर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अजय सिंह रघुवंशी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 20 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली के न्यायालय में 11 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, और बिना कारण के धारा–5 का आवेदन स्वीकार किया गया है जबकि धारा–5 के आवेदन पर विस्तार पूर्वक आदेश पारित करना चाहिये था। इससे स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली का आदेश दिनांक 6.6.18 स्थिर रखने योग्य नहीं है। 3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी	

प्रकरण कमांक निगरानी 3811/2018/अशोकनगर/भूरा

मुंगावली जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 20/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 06.06.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह धारा–5 के आवेदन पर दिन प्रतिदिन का स्पष्ट कारण दर्शाते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य